

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व कि किसी अन्य प्रदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अग्रस्थ लिखा जावे जिससे स्पष्टि हो।



ग्राम : दुर्गाचिंटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कॉलेज)
3442462 (शिवालय)
फैक्स : (0091)-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/4864

दिनांक : 10/5/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत मार्गपरिषद् की बैठक दिनांक 22 मार्च 2012 के पत्र क्रमांक (13) के निर्णयानुसार ज्ञानवती महाविद्यालय, पिथनपुर अहेद, जिला-भिण्ड को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एस-सी. द्वितीय वर्ष, (आ.पा., भौतिक, रसायन, गणित, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र), बी.ए. द्वितीय वर्ष, (आ.पा., हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र), बी.एस-सी. प्रथम वर्ष-कम्प्यूटर एप्लीकेशन अति.वि.) पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता लिख शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. प्रयोगशाला में प्रयोग हेतु Chemicals एवम उपकरण हेतु समुचित व्यवस्था कि जाये। कोर्स से सम्बन्धित साफ्टवेयर लीगल खरीदे जावे।
2. लाइब्रेरी में 50,000/- की और पुस्तकें बी.ए., बी.एस-सी., के द्वितीय वर्ष के लिये और खरीदी जायें।
3. खेल मैदान को और व्यवस्थित किया जाये।
4. Staff का भुगतान बैंक के Cheque द्वारा Account खुलवा कर दिया जाये।
5. बी.एस-सी. Computer Sc. के लिये 28(17) की नियुक्ति एवं 15 कम्प्यूटर अतिरिक्त खरीदे जाये।
6. कॉलेज कोड 27(28) का पालन किया जाये।

नोट:- बी.एस-सी.-प्रथम वर्ष-Computer Sc. अति. विषय हेतु 40 Seats

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, ज्ञानवती महाविद्यालय, पिथनपुर अहेद, जिला-भिण्ड
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-बंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/जोषजीध) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्षा क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)